भंवर लाल

बनाम

श्रीमती प्रेम लता और अन्य

12 जनवरी, 1990

[रंगनाथ मिश्रा, पी. बी. सावंत और के. रामस्वामी, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: आदेश 21 नियम 63 : राजस्थान सिविल कोर्ट अध्यादेश, 1950 : धारा 21(1)(ए) - विक्रय की अपास्ती के लिए वाद - संपत्ति की बहाली का आदेश देने वाली अपीलीय न्यायालय - वैधता - डिक्री मूल्य - चाहे वाद के उद्देश्य के लिए मूल्य हो।

राजस्थान सिविल कोर्ट अध्यादेश, 1950 की धारा 21(1)(ए) के तहत जिला न्यायालय को किसी व्यक्ति की अपील पर केवल Rs.10,000 तक के मूल्य की डिक्री पर विचार करने का अधिकार है। अन्य मामलों में अपील केवल उच्च न्यायालय में होती है।

तत्काल मामले में, 5557.10 रुपये की वस्ली के लिए एक संयुक्त परिवार के घर को एक पक्षीय धन डिक्री की संतुष्टि में नीलामी के लिए लाया गया था। प्रतिवादी सह-भागीदारों ने आदेश 21 नियम 58 सी.पी.सी. के तहत आपित्तयां दायर कीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया। बिक्री की पुष्टि 1958 में हुई थी और बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसके बाद उन्होंने बिक्री को रद्द करने के लिए आदेश 21 नियम 63 सी.पी.सी. के तहत एक वाद दायर किया, जिसमें निष्पादन में बेची गई संपित का मूल्यांकन Rs.15,000 रखा गया था।

विचारण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया। हालाँकि, जिला न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और संपत्ति की बहाली के लिए वाद को डिक्री किया क्योंकि इस बीच कब्जा ले लिया गया था। अपीलार्थी नीलामी खरीदार ने निष्पादन पर इस आधार पर आपत्तियाँ उठाई कि उक्त डिक्री अमान्य थी क्योंकि अध्यादेश की धारा 21 (1) (ए) के तहत 15000 रुपये मूल्य के मुक़दमें में डिक्री के खिलाफ अपील पर विचार करने के लिए जिला न्यायालय के पास आर्थिक क्षेत्राधिकार का आभाव था और यह कि डिक्री एक घोषणात्मक होने के कारण निष्पादन में असमर्थ थी। निष्पादन न्यायालय ने आपत्ति याचिका को खारिज कर दिया लेकिन अपील पर आदेश को उलट दिया गया। आगे की अपील में, उच्च न्यायालय ने अपीलीय आदेश को अपास्त कर दिया।

आंशिक रूप से अपील को अनुमति देते ह्ए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

डिक्री की राशि का मूल्य आदेश 21 नियम 63 सी.पी.सी. के तहत मुकदमे के उद्देश्य के लिए मूल्य होगा। तत्काल मामले में, 5,557.10 रुपये के डिक्री को अमान्य घोषित करके बिक्री को रद्द करने करने के लिए दावा दायर किया गया था। केवल इसलिए कि निष्पादन में बेचीं गई संपत्ति का मूल्यांकन 15000 रुपये रखा गया था, आदेश 21 नियम ६३ सी पी सी के तहत दावा का मूल्यांकन उस मूल्यांकन के रूप में नहीं मन जा सकता है। तदनुसार, अध्यादेश की धारा 2।(।)(a) लागू की गई। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि संपत्ति की बहाली के लिए जिला न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अमान्य थी। चूँकि, यह केवल एक घोषणात्मक डिक्री नहीं थी, बल्कि संपत्ति की बहाली के लिए एक डिक्री के साथ जुड़ी हुई थी, वादी निष्पादन का हकदार था। [27 जी-28 ए, 28 सी]

राधा कुंवर बनाम रेवती सिंह , एआईआर 1916 पीसी 18 और फूल कुमार बनाम घनश्याम मिश्रा 351 ए 22 पीसी, संदर्भित ।

तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा लंबे समय से लंबित था, यह न्यायसंगत होगा यदि अपीलार्थी को घर का उचित मूल्य भुगतान करने की अनुमित दी जाए। जिला न्यायालय को आज की तारीख में घर और स्थल के प्रचलित बाजार मूल्य का आकलन करने का निर्देश दिया जाता है। अपीलार्थी जिला न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर उसके मूल्य का भुगतान करेगा। [28 डी, एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 81/1990

एस. बी. सिविल (विविध) संख्या 2/1976 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 7.3.1989 से।

गुमन मल लोढ़ा, सुशील के.जैन, बी.पी.अग्रवाल और सुधांशु अत्रेया, अपीलार्थी की ओर से।

सी.एम.लोढ़ा और सूर्यकांत, प्रतिवादियों के ओर से।

न्यायालय का निर्णय के. रामास्वामी, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था-

- दोनों पक्षों के विद्वानों अधिवक्तागण को सुना और विशेष अवकाश प्रदान की।
- 2. नीलामी खरीदार के यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खंड पीठ के 7 मार्च 1989 के एस.बी.सिविल (विविध) दित्तीय अपील संख्या 2/76 में दिए गए फैंसले के खिलाफ है। हालाँकि अपील के निस्तारण के लिए कई प्रासंगिक तथ्य, इस प्रकार हैं:

- 3. सर्व श्री गोकुलचंद और रेखचंद, प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 यहाँ, सिविल न्यायालय झालावाड की फाइल ओ.एस.संख्या 37/59 में प्रतिवादी 2 और 3, एक अन्य मुकदमे में, एक पक्षीय 5,557 रुपये की वसूली के लिए धन आदेश बाल मुकुंद के खिलाफ प्राप्त किया और संयुक्त परिवार के घर को बेचने के लिए लाया जो वर्तमान मुकदमे में विवादित संपित है। मोहनलाल, उनके नाबालिग बेटे और उनकी विधवा ने आदेश 21 नियम 58 सी.पी.सी. के तहत आपित्यां दर्ज की जिन्हें खारिज कर दिया गया। बिक्री की पुष्टि 24 अक्टूबर, 1958 को हुई थी और बिक्री प्रमाण पत्र 28 नवंबर, 1958 को जारी किया गया था। प्रत्यर्थीगण ने बिक्री को अपास्त करने के लिए आदेश 21 नियम 63 सी.पी.सी. के तहत ओ.एस. संख्या 37/59 दायर किया।
- 4. विचारण न्यायालय ने 5 दिसंबर, 1961 के अपने निर्णय द्वारा वाद खारिज कर दिया, लेकिन अपील में, जिला न्यायाधीश कोटा ने अपील को स्वीकार कर लिया और वाद अनुसूची संपित की बहाली के लिए वाद के डिक्री की गई क्योंकि इस बीच कब्जा ले लिया गया था। उच्च न्यायालय में दायर द्वितीय अपील सं. 91/65 को समग्र रूप से उपशमन कर दिया गया था क्योंकि 1 मई, 1968 को मोहनलाल की मृत्यु हो गई थी और उनके कानूनी प्रतिनिधि प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 को प्रतिस्थापन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया था। जब प्रतिस्थापन के लिए निष्पादन लगाया गया था, हालांकि अपीलकर्ता ने इसकी निष्पादन क्षमता के लिए कई उद्देश्य उठाए थे, लेकिन चुनौती दो आधारों तक ही सीमित थी, अर्थात्, जिला न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री शून्य है क्योंकि उसके पास राजस्थान सिविल कोर्ट अध्यादेश 1950 की धारा 21(1)(ए) के तहत स्वीकार किए गए मूल्य के मुकदमे में डिक्री के खिलाफ अपील को स्वीकार करने के लिए आर्थिक अधिकार क्षेत्र का अभाव था, और यह उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार्य था, और दूसरा, वादी अनुसूचित संपित की पुनर्स्थापना के निर्देश के बावजूद डिक्री एक घोषणात्मक होने के नाते निष्पादन में असमर्थ थी। निष्पादन न्यायालय ने

आपित याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन अपील में निष्पादन न्यायालय के आदेश को उलट दिया गया। आगे की अपील पर उच्च न्यायालय ने उसी की स्वीकार किया, अपीलीय आदेश को अपास्त कर दिया और अपील के अंतिम न्यायालय को कानून के अनुसार निष्पादन के लिए इसे उपयुक्त सिविल न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई है।

- 5. यह तर्क कि जिला न्यायाधीश कोटाह दवारा पारित डिक्री, अपील पर एक शून्यता सार से रहित है। यह सच है कि राजस्थान सिविल कोर्ट अध्यादेश 1950 की धारा 21(1)(ए) के तहत, जिला न्यायालय को केवल 10,000 रुपये तक के मूल्य के विचारण न्यायालय के डिक्री के खिलाफ अपील पर विचार करने का अधिकार है और धारा 21(1) के उप धारा (बी) के संचयन से अपील केवल उच्च न्यायालय में होगी क्योंकि वाद की कीमंत निश्चित तौर 15,000 रुपये थी। लेकिन यह एक आदेश 21 नियम 63 सी.पी.सी. के तहत 5,557.10 की डिक्री को अवैध घोषित करके बिक्री को अपास्त करने के लिए वाद दायर किया गया है और उन्हें बाध्य नहीं करता है। राधा क्ंवर बनाम रेवती सिंह, ए.आई.आर. 1916 पी.सी. 18 और फुल कुमार बनाम घनश्याम मिश्रा, 35 आई.ए. 22 पी.सी. में यह अभिनिर्धारित किया कि डिक्री की राशि का मूल्य आदेश 21 नियम 63 सी.पी.सी. के तहत वाद के उद्देश्य के लिए मूल्य है। इसलिए, केवल इसलिए निष्पादन में बेची गई संपत्ति का मूल्यांकन 15,000 रुपये रखा गया था, आदेश 21 नियम 63 सी.पी.सी. के तहत मुकदमे के मूल्यांकन को उस मूल्यांकन के रूप में नहीं माना जा सकता है। तदन्सार, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि अध्यादेश की धारा 21(1)(ए) लागू है। इसलिए, जिला न्यायाधीश, कोटा के न्यायालय की फाइल पर सी.ए. सं.157/61 में अपीलीय न्यायालय की डिक्री शून्य नहीं है।
- 6. एकमात्र अन्य प्रश्न यह है कि क्या वादी का संपत्ति का पुनर्स्थापन का अधिकार है । एक बार जब डिक्री, जो निष्पादन की विषय वस्त् थी, को वादी,

मोहनलाल और उनकी मां भुली बाई पर बाध्यकारी नहीं घोषित किया गया, तो निष्पादन बिक्री उन्हें बाध्य नहीं करेगी और परिणामस्वरूप वे पुनर्स्थापन के हकदार बन गए। डिक्री में निश्चित रूप से पुनर्स्थापन के लिए एक निर्देश शामिल है। इसलिए, यह केवल एक घोषणात्मक डिक्री नहीं है, बल्कि वादी अनुसूचित सदन की बहाली के लिए एक डिक्री के साथ है। तदनुसार, डिक्री निष्पादन योग्य है।

7. न्यायालय द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिए कि क्या लंबे समय से कार्यवाहियों की लंबितता को देखते हुए यह न्यायसंगत नहीं हो सकता है कि अपीलकर्ता को घर का उचित मूल्य देना चाहिए या उसका कब्जा देना चाहिए, अपीलार्थी के विदवान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से कहा कि इस न्यायालय दवारा जो भी राशि निर्धारित की जाए, अपीलार्थी उसी का भुगतान करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी द्वारा दायर 28 अप्रैल, 1973 की आपत्तियों में दिए गए बयान पर भरोसा करते हुए कहा कि उसने तब केवल कुल मिलाकर 11,900 की राशि डा दावा किया था और अपीलार्थी केवल उसी राशि का हकदार होगा। दूसरी ओर, अपीलार्थी के पास संपत्ति होने और उसका आनंद लेने के कारण, प्रत्यर्थी अपने लाभ के हकदार हैं। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा लंबे समय से लंबित है, हमारा विचार है कि न्याय और समता की पूर्ति की जाएगी यदि हम जिला न्यायालय, कोटा को वादी अनुसूचित घर और उस स्थान के प्रचलित बाजार मूल्य का आकलन करने का निर्देश देते हैं और अपीलार्थी को उसके द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय के भीतर उसके मूल्य का भ्गतान करने का निर्देश देते हैं। यदि प्रत्यार्थियों ने सर्व श्री गोक्लचंद और रेखचंद द्वारा दायर मूल दावे में बिक्री राशि की शेष राशि नहीं निकाली है और पूर्ण संत्ष्टि दर्ज होने के बाद, अपीलार्थी उक्त शेष राशि को वापस लेने का हकदार है। यदि राशि पहले ही वापस ले ली गई थी, तो अपीलार्थी जिला न्यायालय द्वारा निर्धारित

राशि में से कटौती करने का हकदार है। यदि अपीलार्थी जिला न्यायालय द्वारा निर्धारित संपत्ति के मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, तो सी.ए.सं.157/61 में अपील न्यायालय की डिक्री के अनुसार वादी अनुसूचित संपत्ति की बहाली के लिए एक निर्देश होगा। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है, लेकिन, परिस्थितियों में, बिना किसी लागत के।

पी. एस.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जिरये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।